

27

## देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

-: अधिसूचना :-

दिनांक : 1/2/2020

अधिसूचना संख्या 178/भू अ०

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-पहाड़पुर, थाना-सारठ, थाना सं०-22, अंचल-सारठ, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा सिकिटिया (बवनगामा-पथरौल पथ पर) से शामिलपुर-बोचबांध-डुबा-बनवरिया-जियाखारा-मनीगढ़ी (सारठ-देवघर पथ एन०एच० 114ए पर) पथ चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-पहाड़पुर, थाना-सारठ, थाना सं०-22, अंचल-सारठ, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.78 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :-

क. सं.	खात सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	1096	रैयती	बाड़ी-2	0.03	गिरिश मुर्मू पे० नूनलाल मुर्मू पे० शिवा मुर्मू पे० मंगल मुर्मू पे० श्यामलाल मुर्मू पे० मिठू मुर्मू पे० दिलीप मुर्मू पे० मोतीलाल मुर्मू अंश समान सा० देह।	अर्जित रकवा का अंश।	धनवारीया, न० 26 एवं अर्जित रकवा का अंश।	धनवारीया न० 26	पथरहंडा पहाड़ न०, 21
2	2	1139	रैयती	बाड़ी-2	0.03	सागतोड़नी सोरेन पति स्व० हराधन मुर्मू पे० देवीन मुर्मू पे० जागेश्वर मुर्मू पे० अलादी हेम्ब्रम पति स्व० ढकी मुर्मू अंश समान सा० देह।				
3	8	1156	रैयती	बाड़ी-2	0.03	डोनी टुडू पे० रूपलाल टुडू पे० कोका टुडू पे० बच्चू टुडू पे० पर्वत टुडू। अंश समान सा० देह।				
4	8	1157	रैयती	बाड़ी-2	0.02	तथैव।				
5	10	1191	रैयती	बाड़ी-2	0.04	किन्तु मांझी बल्द सूरजा मांझी (ज०रै०)				
6	12	1084	रैयती	बाड़ी-2	0.01	केशो राउत पे० हादी राउत पे० दुखी राउत पे० चुड़ाल राउत (ज०रै०)				
7	13	1019	रैयती	मकान में सहन	0.02	रामप्रसाद पंडित पे० बजरंगी पंडित पे० झुपर पंडित पे० बालदेव पंडित पे० भेरो पंडित पे० फुलमणी देव्या पति स्व० मोहन पंडित पे० सावित्री देवी पति स्व० बालेश्वर पंडित पे० संतु पंडित पे० फागो पे० मानो देव्या पति किसन पंडित पे० निरसी देव्या पति स्व० माथुर पंडित। अंश समान। सा० देह।				
8	13	1021	रैयती	मकान में सहन	0.02	द्रोपदी देवी पे० अकाशी देवी पे० कमली देवी पे० झगरू पंडित पे० कुशमी देव्या पति स्व० बासुदेव पंडित। अंश समान सा० देह।				
9	20	1022	रैयती	मकान में सहन	0.01	जगदीश रजवार माता स्व० भोथरी रजवारीन सा० देह।				
10	20	1023	रैयती	बाड़ी-1	0.03	तथैव।				
11	26	1142	रैयती	बाड़ी-2	0.03	सरस्वती मंझियाईन पति स्व० कले हेम्ब्रम पे० जोगन हेम्ब्रम पे० सीताराम हेम्ब्रम पे० केशर				



						हेम्ब्रम वो काने हेम्ब्रम वो गेड़ो हेम्ब्रम पे० चुड़का हेम्ब्रम। अंश समान सा० देह।				
12	27	1016	रैयती	बाड़ी-2	0.02	सुबासी देवी पे० दासो महतो वो कांग्रेस महतो पे० कलु महतो वो नकुल महतो पे० हुरोमहतो वो जागेश्वर महतो वो केटकू महतो पे० बुधु महतो। अंश समान सा० देह।				
	28	1141	रैयती	बाड़ी-2	0.04	सीया राम मांझी वो कामदेव मांझी वो सुकुमारी देवी पे० तहदी मांझी अंश समान सा० देह।				
13	31	1089	रैयती	बाड़ी-2	0.01	धोकल मियां वो शोफी मियां वो मोहर मियां वो माही मियां वो रपत मियां बल्द मानु मियां। सा० देह। (ज०रै०)				
14	31	1090	रैयती	बाड़ी-2	0.03	तथैव।				
15	34	1197	रैयती	बाड़ी-2	0.02	हादुर राउत बल्द गुही राउत वो बलवारी राउत बल्द पंचु राउत (ज०रै०)				
16	36	1197	रैयती	बाड़ी-2	0.05	बलराम सिंह बल्द वीसो सिंह वो साहेब सिंह बल्द महाराज सिंह वो मो० यमुनी कुमारी जौजे अनन्तलाल सिंह (ज०रै०)				
17	39	1178	रैयती	बाड़ी-2	0.02	लालमोहन सिंह वो नित्यानन्द सिंह पे० सुखदेव सिंह वो नन्दकिशोर सिंह पे० पारसनाथ सिंह वो अपोहेया सिंह वो बलराम सिंह वो मकुन्द सिंह वो करुण सिंह पे० युगलकिशोर सिंह वो लक्ष्मण सिंह पे० दशरथ सिंह वो मनोज सिंह पे० विष्णु सिंह वो नागेश्वर सिंह पे० मोती सिंह वो गोवर्धन सिंह वो चन्द्रकिशोर सिंह पे० नलनी सिंह वो कमल सिंह वो रविन्द्र सिंह वो महेन्द्र सिंह पे० जीतनारायण सिंह। अंश समान सा० देह।				
18	39	1192	रैयती	बाड़ी-2	0.04	तथैव।				
19	40	1152	रैयती	बाड़ी-2	0.05	मधु मिर्धा बल्द कालो मिर्धा (ज०रै०)				
20	42	1150	रैयती	बाड़ी-2	0.02	सीतामुनी बासकी पति स्व० शिवलाल मराण्डी वो रावन मराण्डी वो दर्जन मराण्डी पे० धुमा मराण्डी वो दशरथ मराण्डी पे० बड़का मराण्डी वो राजेश मराण्डी पे० वीसु मराण्डी। अंश समान सा० देह।				
21	44	1015	रैयती	बाड़ी-2	0.01	भुनेश्वर महतो वो अर्जून महतो वो राजू महतो वो पंकज महतो पे० मंगरू महतो वो जलधर महतो वो दिनु महतो वो सचिन महतो पे० झगसु महतो। अंश समान सा० देह।				
22	44	1017	रैयती	बाड़ी-2	0.03	तथैव।				
23	51	1095	रैयती	बाड़ी-2	0.02	लीलो मुर्मू पे० कैलेया मुर्मू सा० देह।				
24	55	1091	रैयती	बाड़ी-2	0.02	हेमलाल सोरेन वो रामचन्द्र सोरेन पे० मनु सोरेन वो लकेश्वर सोरेन वो रसीकलाल सोरेनपे० सोरेन सोरेन वो प्रधान सोरेन वो मंडु सोरेन वो मुकेश सोरेन पे० रगलाल सोरेन। अंश समान सा० देह।				
25	57	1085	रैयती	बाड़ी-2	0.03	समसुल मियां वो साहेब मियां वो खलील मियां पे० बुला मिया वो मनुरुद्दीन मियां पे० रमजान मियां वो अलाउद्दीन मियां पे० हुसैनी				



						मियां वो सहाबुददीन मियां पे० दिलावर मियां वो मंसूर मियां वो गुलाम रसूल वो हवीब मियां वो सातार मियां वो मलीना खातुन पति जमाल मियां वो मोमीन मियां पे० महमुद मियां। अंश समान। सा० देह।				
26	57	1195	रैयती	बाड़ी-2	0.02	तथैव।				
27	57	1194	रैयती	बाड़ी-2	0.02	डोमन मियां (ज०रै०)				
	57	1086	रैयती	बाड़ी-2	0.03	कासिम मियां वो कुरबान मियां पे० उमा मियां वो जुवेदा बीबी पति स्व० गनोरी मियां वो रहीम मियां पे० गोमी मियां। अंश समान सा० देह।				
	57	1193	रैयती	बाड़ी-2	0.01	तथैव।				
28		1140	रैयती		0.02	मुस्तवाहा।				
कुल रकवा-					<b>0.78</b>					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी  
देवघर

अपर समाहर्ता  
देवघर

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,  
देवघर।

ज्ञापांक 178/2020 / भू अ०, देवघर, दिनांक 1.12.2020  
प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, सारठ को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी

अपर समाहर्ता  
देवघर

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,  
देवघर।